मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 20, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (वित्त लेखे खण्ड-I तथा वित्त लेखे खण्ड-II एवं विनियोग लेखे),

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2013-2014 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण,

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 75 (क) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-21-2014-2-पांच-(28), दिनांक 1 नवम्बर, 2014, तथा

(घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 91 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-11-2014-2-पांच- (26), दिनांक 18 जुलाई, 2014, तथा

(ङ) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (30), दिनांक 1 अगस्त, 2014,

(ii) अधिसूचना क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (40), दिनांक 25 अगस्त, 2014,

(iii) अधिसूचना क्र.एफ-ए-3-05-2014-1-पांच (41), दिनांक 26 अगस्त, 2014,

(iv) अधिसूचना क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (43), दिनांक 1 सितम्बर, 2014,

(v) अधिसूचना क्र.एफ-ए-3-56-2014-1-पांच (47), दिनांक 8 सितम्बर, 2014,

(vi) अधिसूचना क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (48), दिनांक 10 सितम्बर, 2014, एवं

(vii) अधिसूचना क्र.एफ ए 3-20-2013-1-पांच (58), दिनांक 27 नवम्बर, 2014,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 30 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर एवं मुरैना जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर विभक्तिकरण के तहत किये जा रहे कार्य में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के पहाड़गंज वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के पंधाना क्षेत्र में अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(4) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य, धार जिले में सड़क निर्माण में अनियमितता की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री गोपीलाल जाटव, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, याचिका समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-2-

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) ग्राम झिरिया के पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) ग्राम चचाई के पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम कटकी के माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(घ) ग्राम दादर के माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर शहर के -
(क) मुख्य सड़क पर प्रकाश व्यवस्था किये जाने,
(ख) वार्ड क्र. 32 में ट्यूबवेल खनन किये जाने,
(ग) वार्ड क्र. 26 के चार भुजा मंदिर से 4 विद्युत पोल (एल टी) हटाये जाने,
(घ) वार्ड क्र. 23 में ट्यूबवेल खनन किये जाने, तथा
(ड.) नन्दावता में स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 27 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 28 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (7) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 31 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री जीतू पटवारी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2014